

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर
पत्रांक 1327/14-10 सहारनपुर
सेवा में,

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट

अक्टूबर 31- 2018

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:-

मुजफ्फरनगर में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 132 के0वी0 मुजफ्फरनगर-जानसठ लीलो भोपा (भोकरहेड़ी) पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1944 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-


आपका पत्रांक 530/मुजफ्फरनगर/26409/2017 दिनांक 06.09.2018, तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 1509/14-1 दि0 25.10.2018

महोदय,

आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.09.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर के पत्रांक 1509/14-1 दिनांक 25.10.2018 द्वारा सर्वे आफ इण्डिया की मूल टोपो शीट पर प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को अंकित करते हुये प्रेषित किया गया है।

अतः उक्तानुसार प्राप्त सर्वे आफ इण्डिया की मूल टोपो शीट संख्या- 53G/15 तीन प्रतियों में सी0डी0 सहित, संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(वी0के0 जैन)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांक 1327/14-10 दिनांकित

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
 - 2- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 ट्रांसमिशन, कार्पो0 लि0 मुजफ्फरनगर।


(वी0के0 जैन)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।